

राजस्थान-सरकार
कार्मिक (क-3/निरीक्षण) विभाग

क्रमांक: प0 9(3)कार्मिक/क-3/निरी0/98 पार्ट

जयपुर, दिनांक 19 MAY 2016

मुख्य सचिव/अति0 मुख्य सचिव,
प्रमुख शासन सचिव,
समस्त शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर,
एवं समस्त विभागाध्यक्ष।

-:परिपत्र:-

विषय:-विभागीय जांच प्रकरणों के निष्पादन के संबंध में।

अनुशासनिक जांच कार्यवाहियों के शीघ्र निस्तारण हेतु इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.05.2002 के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परिपत्र दिनांक 23.5.2002 के परिशिष्ट "द" में चाही गई सूचनाओं का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर उक्त परिशिष्ट में संशोधन किया गया है।

अतः परिपत्र दिनांक 23.05.2002 द्वारा जारी दिशा निर्देशों की निरन्तरता में निर्देश दिए जाते हैं कि अनुशासनिक जांच प्रकरण का प्रस्ताव प्रेषित करते समय संशोधित संलग्न परिशिष्ट "द" अनुसार पूर्ण सूचनाएं अंकित कर प्रस्ताव इस विभाग को प्रेषित किये जावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

3
(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

✓ प्रतिलिपि:- ए0सी0पी0, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन उप सचिव

परिशिष्ट:- "द"
अधिकारी/कर्मचारी का सेवा विवरण

1	नाम	
2	पदनाम	
3	वर्तमान पदस्थापन	
4	जन्म तिथि	
5	मूल सेवा संवर्ग	
6	सामान्य प्रावधानी निधि (जी.पी.एफ.) खाता संख्या	
7	सेवानिवृत्ति दिनांक	
8	कर्मचारी क्रमांक आई.डी	
9	ईमेल आई.डी (प्राथमिक)	
10	मोबाइल नंबर (प्राथमिक)	
11	वेतन श्रृंखला मय मूल वेतन	
12	वेतन वृद्धि का दिनांक	
13	निलम्बन की स्थिति में- 1. निलम्बन की दिनांक:- 2. बहाली की दिनांक:-	
14	क्या समान तथ्यों पर कोई फौजदारी प्रकरण लम्बित हैं, यदि हां तो विवरण:- 1. एफ आई. आर. संख्या:- 2. अन्तर्गत धारा:-	
15	लम्बित अनुशासनिक जाँच कार्यवाही (यों) का विवरण:- 1. जापन क्रमांक:- 2. दिनांक:- 3. अनुशासनिक प्राधिकारी:- 4. वर्तमान स्थिति:-	
16	पूर्व में कोई दण्ड दिया गया है तो उसका विवरण:- 1. दण्डादेश क्रमांक/दिनांक:- 2. अनुशासनिक प्राधिकारी:- 3. दण्ड का विवरण:-	